न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

31/5/24

मु0न0:— 07/2024

उनवानः— प्रभू बनाम सहायक अभियंता विधुत विभाग टोडाभीम वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 धारा 151 जा0दी0 पेश किया। जिसकी प्रति गैरसायलान वकील को दिलवाई गई। गैरसायलान वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 धारा 151 जा0दी0 की प्रति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नही कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया। निवेदन किये जाने पर सायल वकील ने सहमति दर्ज कराई, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 धारा 151 पर बहस सुनी गई।

सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायोचित निर्णय के लिये वर्णित आराजीयात की मौके की रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है। क्यो कि दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दर्ज बिन्दुओ की स्पष्टता न्यायालय हाजा को हो सके, अतः प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जाकर विवादित भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तलब फरमाई जावे।

गैरसायल वकील ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान मे बहस मे विचाराधीन होने पर सायलान ने यह प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 धारा 151 जा0दी0 पेश किया है जो केवल मात्र प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय को विलम्ब करने के लिये किया गया है। जो स्वीकार योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान को यह प्रार्थना पत्र पत्रावली मे जबाब पेश होने से पूर्व पेश किया जाना चाहिये जबकि सायलान द्वारा पत्रावली मे बहस मे नियत होने पर पेश किया है। जो केवल मात्र प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को लेट करने की नियत से पेश किया है। इसलिये सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 धारा 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो अनुसार सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित नही है।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.01.2024 को खारिज किया जाकर सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:04 IST
Reason: SelfAttested